

# बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-02/23

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-27.09.2023

आवेदन की अंतिम तिथि-11.11.2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार)

से संबंधित अध्याचनायें आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अध्याचानुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्नरूपेण हैं:-

| क्र० सं०  | पद का नाम                | विभाग का नाम  | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता   | तकनीकी योग्यता   | वांछनीय योग्यता                             | अनारक्षित | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या |             |                    |           |             |                      | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं० |
|---|--------------------------|---|---------|--|--|---|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|---|---|
|   |                          |   |         |  |  |   |           | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग      | पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अनु० जाति | अनु० जनजाति | पिछड़े वर्ग की महिला |                    |   |   |
| 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद |                          |   |         |  |  |   |           |                               |             |                    |           |             |                      |                    |   |   |
| 01  | निम्नवर्गीय लिपिक        | पथ निर्माण विभाग  | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण              | -   | 15        | 04                            | 03          | 07                 | 06        | 01          | 02                   | 38                 | 01  | DD-1  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 06        | 01                            | 01          | 03                 | 02        | 00          | -                    | 13                 |   |   |
| 02  | निम्नवर्गीय लिपिक        | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग                               | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण                        | हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण अनिवार्य           | 154       | 34                            | 63          | 42                 | 47        | 00          | 00                   | 340                | 06  | VI-4<br>DD-3<br>OH-3<br>MD-4                  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 47        | 10                            | 14          | 17                 | 17        | 00          | -                    | 105                |   |   |
| 03  | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | गृह विभाग (आरक्षी शाखा)   | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण                        | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण | 07        | 02                            | 02          | 04                 | 03        | 00          | 01                   | 19                 | 00  | 00  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 03        | 01                            | 00          | 01                 | 01        | 00          | -                    | 06                 |   |   |
| 04  | निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-2 | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) विधि विज्ञान प्रयोगशाला                   | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण                        | कंप्यूटर पर हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग/टंकण | 04        | 01                            | 02          | 01                 | 02        | 00          | 00                   | 10                 | 00  | VI-1  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 01        | 00                            | 01          | 01                 | 01        | 00          | 00                   | 04                 |   |   |
| 05  | निम्नवर्गीय लिपिक        | श्रम संसाधन विभाग   | लेवल-2  | इंटरमीडिएट   | हिन्दी टंकण के साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकण              | -   | 08        | 02                            | 03          | 02                 | 03        | 01          | 01                   | 20                 | 01  | VI-1  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 02        | 01                            | 00          | 00                 | 01        | 00          | -                    | 04                 |   |   |
| 06  | निम्नवर्गीय लिपिक        | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग   | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान               | -   | 26        | 06                            | 07          | 11                 | 10        | 01          | 02                   | 63                 | 01  | VI-1<br>DD-1<br>OH-1                          |
|   |                          |   |         |  |  |   | 09        | 02                            | 02          | 03                 | 03        | 00          | -                    | 19                 |   |   |
| 07  | निम्नवर्गीय लिपिक        | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग                            | लेवल-2  | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | -  | -   | 21        | 03                            | 06          | 00                 | 00        | 00          | 00                   | 30                 | 01  | VI-7<br>DD-8<br>OH-9<br>MD-6                  |
|   |                          |   |         |  |  |   | 04        | 01                            | 01          | -                  | -         | -           | -                    | 06                 |   |   |
| 08  | निम्नवर्गीय लिपिक        | निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग | लेवल-2  | इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष  | हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन | -   | 111       | 24                            | 37          | 40                 | 21        | 00          | 06                   | 239                | 05  | VI-2<br>DD-2<br>OH-3<br>MD/M<br>UD-2          |
|   |                          |   |         |  |  |   | 34        | 07                            | 09          | 15                 | 07        | -           | -                    | 72                 |   |   |

19/09/2023

| क्र० सं० | पद का नाम            | विभाग का नाम                                    | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता   | तकनीकी योग्यता   | वांछनीय योग्यता                           | अनारक्षित | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या                     |             |                    |           |             |                      | कुल पदों की संख्या | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अर्थव्यथियों हेतु आरक्षित पदों की सं० |
|----------|----------------------|---|---------|--|--|---|-----------|---|-------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|--|--|
|          |                      |   |         |  |  |   |           | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग                          | पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अनु० जाति | अनु० जनजाति | पिछड़े वर्ग की महिला |                    |  |  |
|          |                      |   |         |  |  |   |           | 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद |             |                    |           |             |                      |                    |  |  |
| 09       | निम्नवर्गीय लिपिक    | श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)       | लेवल-2  | इंटरमीडिएट या समकक्ष   | हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम (एम0एस0 वर्ड, एम0एस0 एक्सेल, पावर प्वाइंट) तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता। | -   | 33        | 05  | 02          | 10                 | 03        | 01          | 00                   | 54                 | 01   | VI-1 DD-1                                      |
|          |                      |   |         |  |  |   | 12        | 02  | 00          | 05                 | 02        | 00          | 00                   | 21                 |  |  |
| 10       | फाइलेरिया निरीक्षक   | स्वास्थ्य विभाग                                 | लेवल-4  | इंटरमीडिएट / 10+2 (विज्ञान)  | -  | -   | 30        | 07  | 06          | 09                 | 13        | 01          | 03                   | 69                 | 01   | VI-1 DD-1 MD-1                                 |
|          |                      |   |         |  |  |   | 10        | 02  | 02          | 03                 | 04        | 01          | 00                   | 22                 |  |  |
| 11       | सहायक अनुदेशक (टंकण) | मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग              | लेवल-4  | इंटरमीडिएट / समकक्ष  | हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण   | -   | 03        | 00  | 01          | 01                 | 02        | 00          | 00                   | 07                 | 00   | -  |
|          |                      |   |         |  |  |   | 01        | 00  | 01          | 00                 | 01        | 00          | -                    | 03                 |  |  |
| 12       | निम्नवर्गीय लिपिक    | नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (आपदा प्रबंधन विभाग) | लेवल-2  | कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष          | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण  | -   | 16        | 04  | 05          | 07                 | 07        | 01          | 01                   | 41                 | 01   | VI-1 DD-1                                      |
|          |                      |   |         |  |  |   | 06        | 01  | 02          | 02                 | 03        | 00          | -                    | 14                 |  |  |
| 13       | राजस्व कर्मचारी      | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                     | लेवल-2  | इंटरमीडिएट (10+2) एवं समकक्ष   | -  | -   | 1637      | 345   | 419         | 563                | 438       | 19          | 138                  | 3559               | 73   | VI-34 DD-34 OH-35 MD/M UD-34                   |
|          |                      |   |         |  |  |   | 480       | 106   | 115         | 197                | 153       | 04          | -                    | 1055               |  |  |
| 14       | पंचायत सचिव          | पंचायती राज विभाग                               | लेवल-3  | इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण                                    | -  | कंप्यूटर पर टंकण तथा एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान | 1746      | 346   | 370         | 617                | 322       | 20          | 111                  | 3532               | 71   | VI-32 DD-38 OH-36 MD-33                        |
|          |                      |   |         |  |  |   | 489       | 103   | 103         | 209                | 113       | 05          | -                    | 1022               |  |  |
| 15       | निम्नवर्गीय लिपिक    | पंचायती राज विभाग                               | लेवल-2  | इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष  | -  | कंप्यूटर संचालन एवं टंकण ज्ञान            | 202       | 50  | 60          | 91                 | 81        | 05          | 15                   | 504                | 10   | VI-5 DD-5 OH-5 MD-5                            |
|          |                      |   |         |  |  |   | 71        | 15  | 20          | 34                 | 30        | 01          | -                    | 171                |  |  |
| 16       | निम्नवर्गीय लिपिक    | खान एवं भूतत्व विभाग                            | लेवल-2  | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष | -  | -   | 23        | 05  | 09          | 09                 | 10        | 00          | 02                   | 58                 | 01   | DD-1 OH-1                                      |
|          |                      |   |         |  |  |   | 08        | 01  | 02          | 03                 | 03        | 00          | -                    | 17                 |  |  |
| 17       | निम्नवर्गीय लिपिक    | परिवहन विभाग                                    | लेवल-2  | इंटरमीडिएट, 10+2 अथवा समकक्ष   | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण  | -   | 46        | 09  | 07          | 11                 | 13        | 01          | 02                   | 89                 | 02   | VI-4 DD-4 OH-4 MD-4                            |
|          |                      |   |         |  |  |   | 13        | 02  | 02          | 05                 | 05        | 00          | -                    | 27                 |  |  |
| 18       | निम्नवर्गीय लिपिक    | नगर विकास एवं आवास विभाग                        | लेवल-2  | इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण का ज्ञान               | -  | -   | 824       | 204   | 219         | 368                | 337       | 22          | 65                   | 2039               | 40   | VI-20 DD-21 OH-21 MD/ MUD-20                   |
|          |                      |   |         |  |  |   | 286       | 61  | 73          | 135                | 122       | 07          | -                    | 684                |  |  |

| क्र० सं०  | पद का नाम         | विभाग का नाम                                   | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता   | तकनीकी योग्यता                    | वांछनीय योग्यता | अनारक्षित   | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या |             |                    |             |             |                      | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या | दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं० |  |
|---|-------------------|--|---------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|--|---|--|
|   |                   |  |         |  |                                   |                 |             | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग      | पिछड़ा वर्ग | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अनु० जाति   | अनु० जनजाति | पिछड़े वर्ग की महिला |  |   | कुल पदों की संख्या   |
| 35% वैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद |                   |  |         |  |                                   |                 |             |                               |             |                    |             |             |                      |  |   |  |
| 19  | निम्नवर्गीय लिपिक | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | लेवल-2  | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष | -                                 | -               | 110         | 24                            | 23          | 54                 | 16          | 00          | 11                   | 238  | 05  | VI-2<br>DD-2<br>OH-2<br>MD/<br>MUD-3                             |
|   |                   |  |         |  |                                   |                 | 33          | 08                            | 07          | 17                 | 06          | 00          | -                    | 71   |   |  |
| 20  | टंकक-सह-लिपिक     | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग                       | लेवल-4  | इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष  | हिन्दी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टंकण | -               | 02          | 00                            | 00          | 01                 | 01          | 00          | 00                   | 04   | 00  | 00   |
|   |                   |  |         |  |                                   |                 | 01          | 00                            | 00          | 00                 | 00          | 00          | -                    | 01   |   |  |
| 21  | निम्नवर्गीय लिपिक | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग                    | लेवल-2  | कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष       | -                                 | -               | 04          | 01                            | 00          | 03                 | 02          | 01          | 01                   | 12   | 00  | VI-1   |
|   |                   |  |         |  |                                   |                 | 02          | 00                            | 00          | 00                 | 00          | 00          | -                    | 02   |   |  |
| 22  | निम्नवर्गीय लिपिक | सहकारिता विभाग                                 | लेवल-2  | कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष                       | -                                 | -               | 42          | 14                            | 05          | 33                 | 30          | 02          | 07                   | 133  | 03  | VI-2<br>DD-2<br>OH-1<br>MD-1                                     |
|   |                   |  |         |  |                                   |                 | 16          | 04                            | 01          | 09                 | 08          | 01          | -                    | 39   |   |  |
| <b>कुल पदों की संख्या</b>                       |                   |  |         |  |                                   |                 | <b>5064</b> | <b>1090</b>                   | <b>1249</b> | <b>1884</b>        | <b>1367</b> | <b>76</b>   | <b>368</b>           | <b>11098</b>   | <b>223</b>                                    | <b>VI-119<br/>DD-125<br/>OH-121<br/>MD-54<br/>MD/M<br/>UD-59</b> |

नोट- I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:-VI-दृष्टि दिव्यांग, DD-मूक बधिर दिव्यांग, OH-चलन दिव्यांग, MD-मनोविकार दिव्यांग एवं MUD-बहुदिव्यांग।

नोट- II. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबधिक है, जो घट-बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नये पद हेतु रिक्तियाँ, जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है।

### 2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

### 3. आरक्षण:-

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण-पत्र का नम्बर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण-पत्र को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग:- पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र को काउंसिलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एक वर्ष से अधिक पुराने क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र-xviii (B) में स्वघोषणा समर्पित करना होगा।

काउंसिलिंग के समय उक्त प्रमाण-पत्र/स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा।

(viii) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए:-

- A. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है। विभागों से प्राप्त अध्यायचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या विभागवार/पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जाएगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणीत की जाएगी।
- B. दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध-1) में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।  
अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- C. कतिपय पद हेतु बहुदिव्यांगों के लिए भी रिक्ति निर्धारित है। बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है।
- D. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.22 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.08.2018 के आलोक में बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा अनुमान्य है।

(ix) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी अभ्यर्थियों के लिए:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02 (दो) प्रतिशत आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-963, दिनांक-20.01.2016 के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ देय नहीं

मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा (वित्तीय वर्ष-2022-23)।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-12897, दिनांक-28.07.2022 के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जायेगी।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किये गये दावे के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का प्रमाण-पत्र वार नम्बर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसिलिंग/Document Verification के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण-पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसिलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है।

#### 4. उम्र सीमा:-

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2023 के आधार पर की जाएगी। परन्तु जैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक-01.08.2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी।

- |                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| (i) न्यूनतम आयु सीमा - | 18 (अठारह) वर्ष।                                   |            |
| (ii) अधिकतम आयु सीमा - | (i) अनारक्षित वर्ग (पुरुष)                         | - 37 वर्ष। |
|                        | (ii) अनारक्षित वर्ग (महिला)                        | - 40 वर्ष। |
|                        | (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) | - 40 वर्ष। |
|                        | (iv) अनु०जाति/अनु०जनजाति (पुरुष/महिला)             | - 42 वर्ष। |

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरंतर तीन वर्षों की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरपन) वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने के स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयुसीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है।

#### 5. परीक्षा शुल्क (प्रारंभिक परीक्षा) :-

- |   |              |
|---|--------------|
| (क) सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी       | - 540 रुपये। |
| (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार के स्थायी निवासी के लिए)       | - 135 रुपये। |
| (ग) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु० जाति/जनजाति के समान)          | - 135 रुपये। |
| (घ) सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)        | - 135 रुपये। |
| (ङ) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों (पुरुष/महिला) हेतु | - 540 रुपये। |

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card /UPI/ Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जाएगा।

ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-27.09.2023 से 09.11.2023 तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

#### 6. परीक्षा की प्रकृति:- वस्तुनिष्ठ

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-

(क) सामान्य अध्ययन।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

**सिलेबस:- प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है:-**

**खंड (क) सामान्य अध्ययन :-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) **सम-सामयिक विषय:-** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश :-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

**खंड (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

(i) **सामान्य विज्ञान:-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल।

(ii) **गणित:-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, एवं लाभ और हानि।

**खंड (ग) मानसिक क्षमता जाँच :-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

#### 7. क्वालीफाइंग मार्क्स:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:-

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| सामान्य वर्ग        | - | 40 प्रतिशत   |
| पिछड़ा वर्ग         | - | 36.5 प्रतिशत |
| अOपिO वर्ग          | - | 34 प्रतिशत   |
| अनुOजाति / जनजाति   | - | 32 प्रतिशत   |
| महिला (सभी वर्ग)    | - | 32 प्रतिशत   |
| दिव्यांग (सभी वर्ग) | - | 32 प्रतिशत   |

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश:-

(i)

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि | 27.09.2023 |
| ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि   | 11.11.2023 |

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण-पत्र/अंक- पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- (v) सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।
- (vi) बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जाएगा।
- (vii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) Live Photo Webcam के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- (ix) योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।
- (x) अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (xi) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध है।

9. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- I. किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा, जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत किया जाएगा।
- II. किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- III. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे।
- IV. इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही, गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- V. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व **Preview** देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो **Edit option** का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को **Submit** करेंगे।
- VI. एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।
- VII. वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नम्बर और/या ई-मेल आईडी दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- VIII. अभ्यर्थी अपना **Application Form Number/Registration Number/Roll Number** को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- IX. विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररूपधारण (Impersonation) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** का मिलान किया जा सके।

Impression/Iris Capture मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि-सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

- x. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

नोट:-उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

10. घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डूप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

11. अंतिम तिथि:-

ऑनलाईन आवेदन दिनांक-27.09.2023 से 11.11.2023 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।